स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति:

प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि " महिलाओं की उन्नति या अवनति से ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति संभव है।"

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में बड़े बदलाव का सामना किया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनसे जुड़ी कुरीतियों के अंत के लिए प्रयास 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों से शुरू हुए थे। महिलाओं की बेहतरी से संबंधित मुद्दे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी उठाए जाते रहे हैं और महिलाओं ने उसमें बढ़-चढ़कर भागीदारी भी की राष्ट्रीय आंदोलन की प्रत्येक धाराएं चाहे वह गांधीवादी समाजवादी साम्यवादी क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन हो अथवा कृषक आंदोलन महिलाओं ने सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिससे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दों पर सुधार आवश्यक हो गए। आजादी के बाद यह सुधार हमें दो स्तरों पर दिखाई देते हैं। एक तो सरकार के द्वारा विभिन्न कानूनों और कार्यक्रमों का निर्माण करना तो दूसरा महिला संगठन एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन एवं संस्थाओं का संगठन करके महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास करना।

आजादी के उपरांत सरकार के प्रयास: आजादी के बाद महिलाओं को शिक्षा संपत्ति आए या बिना किसी लिंगभेद के पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया साथ ही विभिन्न

प्रकार के मौलिक एवं विधिक अधिकारों में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार में विधि मंत्री के तौर पर डॉ बी आर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया जिस के कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे-

1. आजादी से पहले एक हिंदू महिला को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करने के लिए सीमित अधिकार दिए गए थे लेकिन हिंदू कोड बिल में उसे पूरी तरह अपनी इच्छा से अपना उत्तराधिकारी चुनने की स्वतंत्रता दी गई।
2. किसी पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति में उसकी विधवा एवं बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिए जाने का प्रबंध किया गया।
3. एक अन्य प्रमुख प्रावधान था: अंतरजातीय विवाहों को पूर्ण वैधानिक मान्यता दी जाए।
4. पति के किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त होने पर पत्नी से अलग रहने पर या किसी अन्य महिला से संबंध बना लेने की स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाना आवश्यक था।
5. पति या पत्नी दोनों में से कोई भी घरेलू हिंसा व क्रूरता अन्य व्यक्तियों के साथ नाजायज संबंध होने पर या संक्रामक बीमारी होने के आधार पर तलाक की अर्जी दे सकते हैं।
6. विधेयक में स्त्री एवं पुरुषों के लिए एकल विवाह को भी अनिवार्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया था।
7. विधेयक में किसी भी जाति के बच्चे को गोद लिए जाने का प्रावधान किया गया था।

यह विधेयक हिंदुओं के साथ-साथ सीखो बौद्धों और जैनियों पर भी लागू होता था या विधायक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख आधार बन सकता था स्वयं जवाहरलाल नेहरू एवं डॉ भीमराव अंबेडकर इस विधेयक के समर्थक थे लेकिन इस विधेयक का संविधान सभा के भीतर और बाहर भी जमकर विरोध हुआ समाज के रूढ़िवादी तत्व एवं कई अन्य राजनीतिक दलों और विशेष वर्ग के लोगों ने भी इसका विरोध किया। उनके अनुसार यह हिंदू धर्म में सरकार का अनधिकृत हस्तक्षेप था और उनका यह भी कहना था कि यह केवल हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों ईसाइयों और आदि अन्य लोगों पर समान रूप से लागू हो और अनुच्छेद 44 को इसका आधार बनाया जाए। इस प्रकार व्यापक विरोध के कारण हिंदू कोड बिल को संसद में पारित नहीं किया जा सका और इसी मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया । बाद में इस विधेयक के अलग-अलग प्रावधानों पर अलग-अलग कानून बनाए गए जैसे,1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ जबकि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू नाबालिक एवं अभिभावक एक्ट तथा दत्तक संतान एवं देखभाल अधिनियम पारित किया गया। इसी क्रम में आगे चलकर 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत दहेज के प्रचलन को रोकने का प्रावधान किया गया बाद में 1986 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। वहीं 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया

गया और स्त्री पुरुष समानता को बल देने के लिए 1976 में समान वेतन कानून पारित किया गया
1987 में सती प्रथा निरोध अधिनियम पारित किया गया आगे चलकर
1976 में बाल विवाह प्रतिषेध कानून तथा इम्मोरल ट्रेफिक प्रीवेंशन एक्ट 1986 एवं
प्रसव पूर्व लिंग जांच जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले को रोका जा सके के लिए प्री- नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सिलेक्शन एक्ट :1994 पारित किए गए। भारत का संविधान ना केवल महिलाओं की समानता का उपबंध करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कानून और कार्यक्रम बनाने के लिए भी अधिकृत करता है। और इसीलिए संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं और नगरी सुशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या यह स्थान सुरक्षित किया गया। बाद में कुछ राज्यों में निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाकर कुल सीटों का 50% तक कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण था । हालांकि राज्य विधायिका में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तावित है परंतु विभिन्न दलों की राजनीतिक खींचतान के कारण कई वर्षों से लंबित पड़ा है। उपयुक्त सभी कानूनी प्रावधानों के अलावा आजादी के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं भी चलाई गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की

गई। जो महिलाओं के लिए "सहायता अनुदान कार्यक्रम चलाता था । 1992 में संसदीय कानून द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग "की स्थापना भी की। उनके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा हेतु एवं वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना निगरानी रखना और आवश्यक संशोधन करना है ।

1987 में STEP Support to training for employment programs शुरू किया गया । केंद्र सरकार ने 2001 2002 में कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के कल्याण के लिए स्वाधार नामों की योजना शुरू की । इसके तहत विधवाओं जेल से छोटी महिला कैदियों प्राकृतिक आपदाओं की शिकार औरतों या वेश्यावृत्ति से मुक्त कराई गई स्त्रियों बालिकाओं आतंकवाद की शिकार महिलाएं एवं अन्य किसी भी प्रकार से निराश्रित महिलाओं को भोजन आवास स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । साथ ही साथ उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के प्रयास भी किए जाते हैं ।

1993 में एक राष्ट्रीय महिला कोष का गठन भी किया गया जिसका उद्देश्य गरीब स्त्रियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है । सरकार ने हाल ही के वर्षों में लिंग आधारित बजटिंग जेंडर बजटिंग पर बल देना शुरू किया है ।इसके विभिन्न योजनाओं के लिए राशि का निर्धारण करते समय योजनाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रावधान हैं और महिलाओं को उन से क्या फायदा होगा? इन तमाम बातों को बजट प्रक्रिया के दौरान ही

हर चरण में शामिल किया जाता है । और उनके लिए भी मुहैया कराया जाता है 2007 में महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उज्जवला' योजना भी चलाई गई । जिसमें रोकथाम रिहाई पुनर्वास घटकों के माध्यम से महिलाओं के कल्याण की कोशिश की गई इन कार्यक्रमों के अलावा महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए आवास गृह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा अन्य अत्याचारों की शिकार महिलाओं के लिए परामर्श केंद्रों की स्थापना महिला शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता बढ़ाने हेतु कई सारे प्रयास किए गए । वहीं 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति भी लागू की गई ताकि महिलाओं के विकास को सुनिश्चित किया जा सके और वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी आंदोलन:-

वैसे आजादी के तुरंत बाद कोई प्रमुख महिला आंदोलन तो नहीं उभरा क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कई शक्तियों की तरह महिला आंदोलन भी कई रूपों में संस्थागत कल्याण के कार्यों में लग गया । नेहरू काल को राष्ट्र के पुनर्गठन व विभिन्न विद्यमान चुनौतियों से निपटने वाला काल माना जा सकता है। इस समय पूरे देश में एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए

जबरदस्त उत्साह था । इस कारण भी इस दौर में महिला संगठनों का कार्य मुख्य रूप से विभाजन व विस्थापन की शिकार महिलाओं के पुनर्वास शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधाओं के विकास, महिलाओं के लिए रोजगार वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स आदि गतिविधियों तक ही सीमित रहा । परंतु नेहरू काल के अंतिम वर्षों से ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर भारत को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, नक्सलवाद ह जेपी आंदोलन , मूल्य विरोधी आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों के रूप में नए राजनीतिक रुझान उत्पन्न हुए ।

महिलाओं के विभिन्न आंदोलन 1970 के दशक से पुनः मुखर हुए है।

1973 - 75 के दौरान महाराष्ट्र में महिलाओं ने मूल्य वृद्धि के विरोध में एक सशक्त आंदोलन शुरू किया । जो बाद में गुजरात में भी फैल गया और बाद में संपूर्ण क्रांति में शामिल हो गया।

इससे महिलाओं में अपने हक की आवाज उठाने के लिए आत्मविश्वास भी जगा । इसी दौरान गुजरात में " टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशनश की महिला संगठन के रूप में " सेल्फ एंप्लॉयड एसोसिएशन " का गठन किया गया जिसने शीघ्र ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को यह यूनियन के रूप में संगठित कर उन्हें ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता देने लगा । बाद में अन्य देशों देश के अन्य भागों में भी इसका प्रसार हुआ । 1972 में महाराष्ट्र के धुलिया जिले के शहादा आदिवासी क्षेत्र में अकाल से राहत और

भूमि स्वामित्व की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया साथी भील महिलाओं ने शराब बंदी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया

वहीं 1960 के दशक में विनोबा भावे मीराबेन ने भी उत्तराखंड में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाए थे । इस तरह के तमाम आंदोलन देश के कई हिस्सों में जारी रहे उस दौर का एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन था " चिपको आंदोलन " उत्तराखंड के क्षेत्रों में हुए इस आंदोलन को प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व प्रदान किया और महिलाओं ने इस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । उन्होंने लकड़ी के ठेकेदारों के द्वारा पेड़ को कटने से बचाने के लिए खुद को पेड़ों से बांध लिया पेड़ों से चिपक गए और इसी तरह की एक श्रृंखला चल पड़ी

80 के दशक महिलाओं ने जंगल के उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकार को बनाए रखने की मांग की क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता था और पानी घरेलू ईंधन आदि के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ता था । रेनी गांव की महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन भी करना पड़ा । जिसमें अपनी रिपोर्ट में मे ग्राम वासियों के पक्ष में फैसला दिया ।इसे पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा मिली ।

महिला आंदोलनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1977 में स्थापित छत्तीसगढ़ खदान श्रमिक संघ के तहत महिला मुक्ति मोर्चा की स्थापना थी । यहां महिलाओं ने भिलाई इस्पात

कारखाने के मशीनीकरण का विरोध किया क्योंकि इसे महिलाओं के रोजगार की संभावनाओं के खिलाफ माना गया ।
इसी बीच एक महिला आंदोलन की नवीन धारा स्वायत्त महिला धारा का भी उदय हुआ । जो 1970 के दशक में नगरीय क्षेत्रों में शुरू होकर राजनीति व प्रशासन में महिलाओं की भूमिका तथा समाज में स्त्री और पुरुष की पारस्परिक भूमिका जैसे मुद्दों को उठाने में सफल रहा । इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया । जिससे महाराष्ट्र में 8 मार्च 1975 को राजनीतिक दलों की महिला शाखा और अन्य स्वतंत्र महिला संगठनों ने विश्व महिला दिवस मनाया । इसी प्रकार अक्टूबर 1975 में पुणे में वामपंथी रुझान वाली विभिन्न पार्टियों द्वारा एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया इनका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय महत्व का बना था । सीपीएम के (CPM)महिला संगठन जनवादी महिला समिति 1981 में स्थापित " ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसिएशन" ने " दहेज प्रथा " के विरोध में दहेज निषेध अधिनियम 1961 को 1986 में संशोधित करके और अधिक दंडात्मक बनाया
महिला संगठन ने 1983 में बलात्कार से संबंधित कानूनों को संशोधित कराने की मांग भी की जिसमें मुख्य तक पुलिस हिरासत में बलात्कार को सबसे ज्यादा जघन्य अपराध ठहराया गया । जिससे अपराधियों को दंड देने की संभावना और बढ़ गई इसी दौरान सितंबर 1987 में राजस्थान के देवराला के " रूप

कंवर " नामक महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने की घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया । हिंदू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इस घटना के विरोध में उमड़े आंदोलन को भारतीय परंपरा पर हमले की तरह पेश किए जाने का मामला और संगीन हो गया हालांकि बाद में स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में आर्य समाज उन्हें इस घटना का विरोध किया और सती प्रथा को औचित्य साबित करने की चुनौती पेश की । ऐसे ही चुनौती 10000 महिलाओं की एक रैली द्वारा पूरी के मंदिर में मुख्य पुरोहित के समक्ष भी पेश की गई ।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में महिला आंदोलनों का स्वरूप बदलने लगा और महिला आंदोलन की कार्यप्रणाली व्यापक जन अभियानों के बजाय महिलाओं की सहायता के लिए महिला सेलो की स्थापना परामर्श महिला अधिकारों पर शोध प्रकाशन और महिलाओं के लिए पत्र पत्रिकाएं निकालने पर केंद्रित हुआ । हैदराबाद की अन्वेषी नामक संस्था दिल्ली में " सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज " एवं अन्य कई संस्थानों ने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर शोध कार्य प्रकाशित कर जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है ।

इसी दौर में महिला आंदोलन के विभिन्न घटकों में उद्देश्यों और नीतियों को लेकर मत भिन्नता भी उभरी भी महिलाओं के हक के समर्थन में आवाज बुलंद होती रही और राजनीति प्रशासन अर्थव्यवस्था एवं समाज में महिलाओं की भूमिका में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जाने लगे इस दौर में महिला आंदोलन की कमजोरी 1986 के प्रसिद्ध " शाहबानो मुकदमे "

के दौरान उभरकर दिखाई पड़ता है जब आंदोलन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में जनता और से महिलाओं को संगठित करने में सफल रहा महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में व्यापक और असमानताएं हैं । राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है वहीं केरल जैसे राज्यों में 90% से भी ज्यादा ज्यादा है । हिमाचल प्रदेश में भी महिला साक्षरता के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
1951 में 3.5%की दर से बढ़कर 2001 में 54% व 2011 में 65.46% हो गई है । साथ ही साथ शहरी महिला साक्षरता एवं ग्रामीण महिला साक्षरता दर में भी काफी अंतर है । वैसे भी भारत में प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता में विफलता के दुष्परिणाम प्राया महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं क्योंकि पितृसत्तात्मक पुरुषवादी मानसिकता वाले समाज में अक्सर बालकों को ही शिक्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है ।

हाल के वर्षों में जागरूकता बढ़ी है लेकिन अभी विदेश में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता कम है और जो स्कूल है वहां शिक्षण शौच आदि तमाम व्यवस्थाओं का अभाव है। जिससे महिला शिक्षा को पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल पाता वही दूरदराज के इलाकों में बच्चियों को भेजने में भी लोग अक्सर आनाकानी करने लगते हैं । हमारा सामाजिक ताना-बाना व मानसिकता इस तरह विकसित किया गया है कि परिवार में महिला और बच्चों के पोषण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता

सभी जगह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी नहीं है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के मांगे होने के कारण महिलाओं को प्राया स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है । इसी कारण भारत में लिंगानुपात का घटना भी स्वभाविक है । साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ा है देश में प्रतिवर्ष दर्ज किए गए अपराधों में महिलाओं से संबंधित अपराधों का हिस्सा आठ से 10% तक रहा है । इनमें महिलाओं पर एसिड फेंकने बलात्कार दहेज़ घरेलू हिंसा कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं का अवैध व्यापार आदि तमाम घटनाएं बढ़ी हैं यदि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्यादा है और तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में तो यह संख्या 30% से भी ज्यादा है कृषि क्षेत्र में 55 से 60% और उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के 90% से भी ज्यादा योगदान है लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए कई सकारात्मक प्रयास तो किए गए हैं लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि सिर्फ संवैधानिक या वैधानिक बंधुओं का प्रावधान करना ही महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि महिलाओं को जागरूक बनाकर उन्हें अपने हक के लिए सतत प्रयासरत करना भी आवश्यक है जिससे कि शिक्षा स्वास्थ सुविधाओं सहित तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकारों का लाभ मिल सके।